(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4282-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दि. 16-12-2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त बहोडापुर तहसील ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2016-17

1-लाखनसिंह पुत्र स्व0श्री लालसिंह राजपूत
2-श्रीमती कुमुदनी पत्नी लाखनसिंह राजपूत
3-मुनेन्द्रसिंह पुत्र श्री लाखनसिंह
4-श्रीमती शांती बेवा स्व0श्री रामस्वरूप राजपूत
5-वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0श्री रामस्वरूप राजपूत
6-धीरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0श्री रामस्वरूप राजपूत
निवासीगण ग्राम मऊ तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-लोकमन सिंह पुत्रश्री रघुनाथ सिंह लोधी
2-दर्शन सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह लोधी
निवासी गण ग्राम जमाहर तहसील व जिला ग्वालियर
3-म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी व श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषकगण--आवेदकगण
श्री प्रखर ढेंगूला, शास0अभिभाषक--अनावेदक क्रमांक 3

** आ दे श **

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वृत्त बहोडापुर तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम जमाहर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 822 के संबंध में एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त सर्वे क्रमांक में शासकीय रास्ता है, जिसे खुलवाया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त कर गठित दल के साथ मौके पर सर्वे क्रमांक 822 शासकीय रास्ते का सीमांकन किया जाकर दिनांक 16-12-2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना तथा आवेदकगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना एवं उनके पीठ पीछे सीमांकन कार्यवाही की गई है, जबकि सीमांकन कार्यवाही में मेडिया कृषकों अथवा संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिये जाने का प्रावधान है इसलिये सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक क्रमांक 1 ने शासकीय रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर तथाकथित सीमांकन की कार्यवाही की गई है जबकि सीमांकन कार्यवाही के संबंध में कोई आवेदन पत्र अथवा शुल्क जमा नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में बिना आवेदन पत्र के जो सीमांकन किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आवेदकगण द्वारा अपनी लिखित आपत्ति में बताया था कि उसके स्वत्व की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 804 में कोई शासकीय रास्ता नहीं है ऐसी स्थिति में रास्ता खुलवाये जाने अथवा दिलाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(4) संहिता की धारा 129 में बने सीमांकन नियमों का विधिवत् पालन नहीं किया गया है ।

(5) खडी फसल में सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है इस आशय की एक लिखित आपत्ति आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ली गई थी किन्तु

अधीनस्थ न्यायलय द्वारा खडी फसल में सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसील न्यायालय की समस्त सीमांकन कार्यवाही एवं पारित आदेश दिनांक 16-12-16 निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय को निर्देशित किया जाये कि वे उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही संपन्न करें ।

4/ अनावेदकपक्ष द्वारा एवं अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के दौरान जो फील्डबुक तैयार की गई है उसके अवलोकन से रास्ते की कितनी भूमि पर किसका कितना अतिक्रमण है, यह स्पष्ट नहीं होता है । प्रकरण में संलग्न अक्श में भी यह नहीं दर्शाया गया है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन विधिवत् नहीं किया गया है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यक है कि तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में पुन: तहसीलदार अपने मार्गदर्शन में सीमांकन की कार्यवाही करायें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त बहोडापुर तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-12-2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे 15 दिवस की समयावधि में पुन: तहसीलदार अपने मार्गदर्शन में सीमांकन की कार्यवाही करायें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर